

जीएसटी सुधार, आम परिवारों के लिये बचत बढ़ाने और समृद्धि देने वाला उपहार

डॉ. रणजीत सिंह रावत*

* व्याख्याता, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – देश में नये जनरेशन के जीएसटी रिफार्म के माध्यम से जो सुधार किया वह आम आदमी, एमएसएमई (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम) किसानों मध्यम वर्ग महिलाओं और युवाओं के जीवन को स्वावलंबी बनायेगा। यह आम आदमी के जीवन को सुविधा देने वाला उपहार है। जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। इसने देश को कई करों जटिल जाल से मुक्ति दिलाई। अब, जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, जीएसटी सुधार का यह नया चरण जिसे मीडिया में कुछ लोग, जीएसटी 2.0 कह रहे हैं, वास्तव में नई जीएसटी दरें देश के समर्थन और विकास की दोहरी खुराक हैं। यह सुधार आम परिवारों के लिये बचत बढ़ाने और आर्थिक गति को मजबूत करने के दोहरे लाभ प्रदान करता है। अब मुख्य रूप से जीएसटी की दो श्रेणियाँ हैं, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। ये नई दरें 22 सितम्बर 2025 से लागू होगी। करोड़ों परिवार के लिये जरूरी चिजें और भी सस्ती हो जाएंगी। इस साल धनतेरस और भी जीवन्त होगा क्योंकि दर्जनों वस्तुओं पर कर में काफी कमी की गई।

नवीनतम जीएसटी सुधार भारत के आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है इन सुधारों ने देश की फलती-फुलती अर्थव्यवस्था में पांच प्रमुख रत्न जोड़े हैं।

पहला, कर प्रणाली काफी सरल हो गई है। **दूसरा** भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। **तीसरा**, उपभोग और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा। **चौथा**, कारोबार करने में आसानी होगी, जिससे अधिक निवेश और रोजगार सृजन होगा। **पांचवा**, सहकारी संघवाद की भावना केन्द्र और राज्यों के बीच साझेदारी सुदृढ़ होगी जो एक विकसित भारत के लिये अत्यन्त आवश्यक है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती से अगले वर्ष मंहगाई कम करने में मदद मिलेगी और देश विकास संभावनाओं में और तेजी आयेगी।

2017 में केन्द्र सरकार ने जीएसटी लागू किया लेकिन उससे 10 वर्ष पहले से जीएसटी लागू करने की बात हो रही थी। हालांकि सरकार परिवर्तन के कारण जीएसटी नहीं आ सका। ताजा सुधारों से जीएसटी कलेक्शन में 8 से 9 प्रतिशत का असर पड़ने की आशंका है लेकिन खरीदारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन में होने वाली इस रिकार्ड ब्रिकी से सरकार की योजना कामयाब होती दिख रही है। अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ने से मैन्यूफैक्चरिंग एवं उद्योग कारोबार में

बढ़ोत्तरी होगी।

समीक्षा

1. मेक इन इण्डिया – मेक इन इण्डिया अर्थात 'भारत में बनाओं' को बढ़ावा देना है तो कारखाना उद्योग लगाना पड़ेगे लेकिन मशीनों पर तो जीएसटी 18 प्रतिशत है, इसे कम किये जाने की जरूरत है।

2. दवा और निर्माण क्षेत्र – दवा उद्योग और निर्माण क्षेत्र भी जीएसटी से चिंतित है दवा पर जीएसटी कम कर दिया, लेकिन फार्मूलेशन यानी कच्चे माल पर टैक्स 18 प्रतिशत है, ऐसे में लाभ कैसे मिलेगा।

3. ऑटोमोबाईल – स्वचलित वाहनों में पर जीएसटी की कमी हुई। इसका लाभ भी ग्राहकों को दिया जा रहा है। इस सबके बीच बड़ा सवाल है कि डिलर्स के सेंस 4.5 हजार करोड़ रूपयें सरकार के पास अटके हैं, ये सेंस कैसे रिकवर होगा।

4. होटल उद्योग – पहले होटल के कमरे के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था। अब साढ़े सात हजार तक के टेरिफ पर टैक्स पर 5 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन दुसरे हाथ से होटलों को मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को छिन लिया गया है। यदि आईटीसी नहीं दी गई है तो आम उपभोक्ता को घटे टैक्स का लाभ मिलने में संशय रहेगा।

5. नोटबुक/किताब – नोटबुक पर जीएसटी शून्य कर दिया गया, पर उसी कागज का अन्य उपयोग हो तो 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। एक ही कागज को बेचने पर अलग-अलग कैसे रखे? शून्य प्रतिशत बिल बनेगा तो आईटीसी रिवर्स करना होगा इसे तो कागज के आयातकों को लाभ और देश के उद्योगों को नुकसान है। कागज पर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसे में किताबें और मंहगी होगी।

6. सुधार और स्पष्टीकरण – जीएसटी में सुधार और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यदि जीएसटी 2.0 आया है तो जीएसटी 3.0 भी आ सकता है।

7. इलेक्ट्रॉनिक व फैशन उत्पाद – जीएसटी के ताजा बदलाव और दरों में कटौती का असर त्योहारी सीजन में होने वाली ब्रिकी पर साफ-साफ दिख रहा है। नवरात्र उत्सव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एफएमसीजी व फैशन जैसे उत्पादों की ब्रिकी में पिछले साल त्योहारी सीजन के मुकाबले 23-25 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी दिख रही है।

8. दवाईयां हुई सस्ती, सेहत हुई अच्छी – 36 जीवन रक्षक दवाईयों

पर शून्य प्रतिशत जीएसटी तथा अन्य ढवाइयों के ढाम भी हुये कम, अब लोगो का ढवाइयों का खर्चा हुआ कम, बचत भी बढेगी।

9. स्कैप मेटल उद्योग का कच्चा माल है। स्कैप पर जीएसटी कर ढिया जाएगा तो चोरी रूकेगी और 13 प्रतिशत तक राजस्व बढ जाएगा।

निष्कर्ष - 22 सितम्बर 2025 से लागू हुई जीएसटी व्यवस्था ने पिछली चार स्तरीय कर संरचना को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की ढो प्रमुख स्लेब में बढल ढिया था। इस बढलाव का उद्देश्य कर का बोझ कम करना और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है, अक्टुम्बर से ब्रिकी और बढेगी इसके पिछे वजह यह है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागों के हाथ में खासतौर पर

किसानों के पास फसल की कमाई आनी शुरू नहीं हुई है। अमूमन यह अक्टुम्बर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाती है। इस बार मानसून बहुत अच्छा रहा है और पिछले बजट में आयकर में छुट ढी गई है। जीएसटी सुधार से खपत बढने से रोजगार में बढोत्तरी होगी। आर्थिक सुधारों को नया बल मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 15/09/2025 से 21/09/2025 रोजगार और निर्माण जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. www.naidunia.com
